

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-6717/1332

दिनांक: 18-07-2016

सेवा में

वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल,
पंचकुला ।

विषय: Diversion of 0.637 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Construction Division, (NH) Hr.PWD (B&R), Panchkula of improvement of junction of km. 14.250 and km. 16.720 on NH 21 A (New NH 105), under forest division Morni-Pinjore and District Panchkula, Haryana.

Online Proposal No. PF/HR/Road/19257/2016

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 1023 दिनांक 11-7-2016

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670-व-2-2016/8430 दिनांक 6-5-2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.637 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संलग्न संशोधित सी0ए0 स्कीम अनुसार निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है :-

- (i) प्रयोक्ता एजेंसी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए ।
- (ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30-10-2002, 28-3-2008 एवं 9-5-2008 तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 5-2-2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रैजेंट वैल्यू जमा करवाई जाए ।
- (iii) भारत सरकार पत्र संख्या 5-2/कैम्पा दिनांक 24-6-2011 के तहत दिए गए अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के CAMPA Haryana लेखा संख्या SB01025209, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-II, भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 या Haryana CAMPA लेखा संख्या SB344902010105418, भारतीय यूनियन बैंक, सुन्दरनगर, नई दिल्ली में जमा करवाई जाएं और इस कार्यालय को निर्धारित प्रोफोर्मा द्वारा सूचित किया जाए ।

उपर्युक्त शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तथा अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि पर कार्य नहीं किया जाना चाहिए ।

संलग्न/संशोधित सी0ए0स्कीम ।

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0)

कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

पंचकुला ।

प्रतिलिपि :- 1333-34

Date 18-7-16

1. वन मण्डल अधिकारी, मोरनी-पिंजौर ।
2. Executive Engineer, Construction Division (NH) Hr.PWD (B&R), Panchkula.